ग्रीन हाइड्रोजन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, पर्यावरण संबद्ध मुद्दे

संदर्भ

- हाल ही में, ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मेसर्स ग्रीनको ज़ीरो सी प्राइवेट लिमिटेड (ग्रीनको) के साथ संयुक्त रूप से अक्षय, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के अन्य डेरिवेटिव में अवसर की खोज करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- यह समझौता ज्ञापन दो वर्ष के लिए वैद्य होगा।
- यह समझौता ज्ञापन भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित गतिविधियां 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के भारत के लक्ष्य में योगदान देंगी।
- यह समझौता ज्ञापन ओएनजीसी के लिए अपनी ऊर्जा रणनीति 2040 के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कदम के रूप में भी काम करेगा।

- चूंकि ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लागत प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और मजबूत नियामक प्रयासों से बढ़ रही है।
- ओएनजीसी का लक्ष्य निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना है, जैसे कि दीर्घकालिक व्यवधानों के खिलाफ पोर्टफोलियो जोखिम कम करना और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।

ग्रीन हाइड्रोजन

- अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्बन पदचिह्न नहीं होता है।

ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व

- यह भारत को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) लक्ष्यों को प्राप्त करने और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह एक ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतराल को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।
- शहरों और राज्यों के भीतर शहरी माल ढुलाई, रेलवे, बड़े जहाजों, बसों या ट्रकों आदि में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है।

आवश्यकता

- ज्ञातव्य है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 130 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गई थी, जो एक दशक में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि थी।
- ग्रीन हाइड्रोजन एक उभरता हुआ विकल्प है, जो मूल्यों के उतार-चढ़ाव के प्रति भारत की संवेदनशीलता को कम करने में सहायता करेगा।

हरित हाइड्रोजन नीति

- केंद्र सरकार ने फरवरी, 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 5 मिलियन टन करना और भारत को स्वच्छ ईंधन के लिए निर्यात केंद्र बनाना है।

- नई नीति जुलाई 2025 से पहले हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए स्थापित किसी भी नए अक्षय ऊर्जा संयंत्र के लिए 25 वर्ष तक मुफ्त बिजली संचरण प्रदान करती है।
- इसका आशय है कि एक हरित हाइड्रोजन उत्पादक आपूर्ति करने के लिए राजस्थान में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सक्षम होगा। असम में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए अक्षय ऊर्जा और किसी भी अंतर-राज्यीय संचरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह कदम हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रमुख उपयोगकर्ताओं जैसे तेल शोधन, उर्वरक और इस्पात क्षेत्रों के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इसे और अधिक किफायती बनाने जा रहा है।
- यह क्षेत्र वर्तमान में प्राकृतिक गैस या नेफ्था का उपयोग करके उत्पादित ग्रे हाइड्रोजन या ग्रे अमोनिया का उपयोग करते हैं।

प्रोत्साहन नीति

- सरकार हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी मंजूरी के लिए एकल पोर्टल स्थापित करेगी और साथ ही उत्पादकों के लिए डिस्कॉम से उत्पन्न किसी भी अधिशेष अक्षय ऊर्जा को 30 दिनों तक के लिए बैंक में रखने और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करने की सुविधा प्रदान किए जाएँगे।
- इन परियोजनाओं के लिए समयबद्ध मंजूरी की आवश्यकता निवेश को बढ़ावा देगी, जबकि प्राथमिकता पर ग्रिड कनेक्टिविटी परिचालन प्रक्रियाओं को आसान बनाएगी।
- हरित हाइड्रोजन/अमोनिया के उत्पादन के लिए स्थापित ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- बिजली वितरण कंपनियां हरित हाइड्रोजन उत्पादकों की आपूर्ति के लिए रियायती दर पर अक्षय ऊर्जा की खरीद कर सकती हैं, जिसमें नई नीति के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित केवल खरीद की लागत, व्हीलिंग शुल्क और एक छोटा सा मार्जिन शामिल होगा।

- इस तरह की खरीद को राज्य के अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए भी गणना की जाएगी, जिसके तहत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं का एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना आवश्यक है।

हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सुविधाएं

- नीति के तहत बंदरगाह प्राधिकरण निर्यात से पहले भंडारण के लिए बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादकों को लागू शुल्क पर भूमि प्रदान करेंगे।
- जर्मनी और जापान भारत में उत्पादित हरित हाइड्रोजन के लिए प्रमुख बाजार हो सकते हैं।

निष्कर्ष

- अनिवार्य रूप से तेल शोधन, उर्वरक और इस्पात क्षेत्र को अपनी आवश्यकताओं के एक निश्चित अनुपात के लिए हरित हाइड्रोजन और हरी अमोनिया की खरीद करना आवश्यक है।
- रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए जनादेश कुल आवश्यकता क्षेत्रों के 15-20 प्रतिशत पर शुरू हो सकता है।

स्रोत: द हिन्दू

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** महत्वपूर्ण विधेयक

संदर्भ

- हाल ही में, लोकसभा ने परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जो हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी, 2019 से और नागालैंड में 12 सितंबर, 2008 से फैमिली कोर्ट स्थापित करने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 में संशोधन करके कानूनी मान्यता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

- यह हिमाचल प्रदेश और नगालैंड में स्थापित कुटुंब न्यायालय या फैमिली कोर्ट (Family Court) को कानूनी मान्यता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और उनके द्वारा की गई सभी कार्यवाही मान्य होगी।
- यह विधेयक परिवार न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकार और उन राज्यों के परिवार न्यायालयों द्वारा किए गए उक्त अधिनियम के तहत सभी कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने के लिए एक नई धारा 3ए को सम्मिलित करने का प्रयास करता है।
- मई 2022 की शुरुआत में 26 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 715 परिवार अदालतों में 11.49 लाख मामले लंबित थे।

फैमिली कोर्ट संशोधन विधेयक 2022 की आवश्यकता

- अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार, कुटुंब अदालत अधिनियम 1984 के तहत 26 राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों में 715 कुटुंब अदालतों की स्थापना की गई है और यह कार्य कर रहे हैं।
- इसके तहत हिमाचल प्रदेश में तीन और नागालैंड में दो कुटुंब न्यायालय हैं।
- इसमें उल्लिखित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला, धर्मशाला और मंडी में 15 फरवरी 2019 की अधिसूचना के जरिये तीन कुटुंब न्यायालय स्थापित किये हैं तथा नगालैंड सरकार ने 12 सितंबर, 2008 की अधिसूचना के तहत दीमापुर एवं कोहिमा में दो कुटुंब न्यायालय स्थापित किये।
- अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम को इन राज्यों में प्रवृत्त करने के लिये केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

याचिका और पृष्ठभूमि

- इस विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई, जिसमें अदालत के समक्ष यह बात रखी गई कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने के लिये कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।
- विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, चूंकि हिमाचल प्रदेश और नगालैंड राज्यों मे फैमिली कोर्ट अपनी स्थापना की तारीख से ही कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार के साथ फैमिली कोर्ट की कार्रवाइयों को विधिमान्य करना अपेक्षित है, इसलिये इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया।
- इसके माध्यम से इन दोनों राज्यों में फैमिली कोर्ट के अधीन की गई सभी कार्रवाइयों को पूर्व प्रभाव से विधि मान्य हो सकेगा।

फैमिली कोर्ट की स्थापना

- हमारे देश में कई प्रकार के न्यायालय हैं और उन्हीं में से एक कुटुंब न्यायालय है, जिसे पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- इसे फैमिली कोर्ट इसलिए कहा गया, क्योंकि इसमें घर-परिवार में होने वाले विवादों का निपटारा किया जाता है। विशेषकर पति और पत्नी के मध्य होने वाले विवाद का निराकरण किया जाता है।
- विदित है कि फैमिली कोर्ट से पहले सभी सिविल कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई होती थी।

- वर्ष 1984 में भारत सरकार की ओर से कुटुंब न्यायालय अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के जरिए पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए एक पृथक कोर्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण करना था।

उद्देश्य

- फैमिली कोर्ट स्थापित करके विवाह और परिवार के मामलों एवं उससे संबद्ध विषयों में सुलह और विवादों का शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से कुटुंब अदालत अधिनियम 1984 को अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम 14 सितंबर 1984 को प्रभाव हुआ और अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार, 26 राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों में 715 फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है

फैमिली कोर्ट बनाम सिविल कोर्ट

- कुटुंब न्यायालय या फैमिली कोर्ट में परिवार के विवाद से जुड़े मामले सुने जाते हैं। इसमें पति-पत्नी के बीच होने वाले तलाक और संपत्ति के विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।
- इस कोर्ट में अधिकांश मामले इसी से संबद्ध आते हैं।
- तलाक पश्चात बच्चों पर अधिकार और भरण-पोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।
- हाल के दिनों में ऐसे कोर्ट में भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है।
- मई 2022 की शुरुआत में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 715 परिवार अदालतों में 11.49 लाख मामले लंबित थे।
- ज्ञातव्य है कि जिन शहरों की आबादी दस लाख से अधिक है, वहां मामले फैमिली कोर्ट में सुने जाते हैं। यद्यपि, सभी ऐसे शहरों में फैमिली कोर्ट कि स्थापना नहीं की गई है।
- जिन शहरों में फैमिली कोर्ट की स्थापना नहीं की गई है, वहां ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जाती है।
- हालांकि सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट की सुनवाई में अधिक अंतर नहीं होता, किन्तु सिविल कोर्ट में दूसरे और भी मामलों की सुनवाई की जाती है। फलतः इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, वहीं फैमिली कोर्ट में ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई शुरू हो जाती है और निर्णय भी सिविल कोर्ट के मुकाबले शीघ्र होता है।

- सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट में सुनवाई और निर्णय का तरीका थोड़ा भिन्न होता है।
- सिविल कोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है। इसके तहत कोई ऐसा दस्तावेज कोर्ट स्वीकार नहीं करता, जिसकी व्यवस्था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों में नहीं दी गई हो।
- वहीं फैमिली कोर्ट में जज किसी भी प्रमाण का अवलोकन कर सकता है और उस आधार पर निर्णय सुना सकता है।
- फैमिली कोर्ट में गवाहों के बयान की जो मुख्य बातें होती हैं, केवल उसे ही दर्ज किया जाता है।
- फैमिली कोर्ट में केस दाखिल करने की फीस अधिक नहीं होती है। साथ ही, इस कोर्ट में आने वाले मामलों में जज का बल पहले इस बात पर रहता है कि मामले को आपसी सहमति से ही सुलझा लिया जाए।
- विदित है कि परिवार हमारे समाज की महत्वपूर्ण इकाई है और परिवार के महत्व को रेखांकित करते हुए आपसी सहमति से विवाद का निराकरण नहीं हो पाने के बाद ही जज की ओर से निर्णय सुनाया जाता है।

स्रोत: द हिन्दू

हर घर तिरंगा अभियान

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कंपनियों को 'हर घर तिरंगा' अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने सीएसआर फंड खर्च करने की अनुमति प्रदान की है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

'हर घर तिरंगा' अभियान

- मंत्रालय देश भर में 11-17 अगस्त को "स्वतंत्रता सप्ताह" के रूप में मनाने की योजना बना रहा है, जिसके दौरान 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 20 करोड़ से अधिक परिवारों को तिरंगा फहराने के लिए शामिल किया जाएगा।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन

- भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सभी नियम फ्लैग कोड 2002 के अंतर्गत आते हैं।
- विदित है कि यह फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है।
- 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे।
- फ्लैग कोड को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है-
    - तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां
    - तिरंगे का आकार
    - कैसे बनाया जाना चाहिए
    - आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम
    - केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन-एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम-कानून

संशोधन

- विदित है कि पहले हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की स्वीकृति थी, किन्तु अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खाद से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही, अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है
- अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी और रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था। किन्तु अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान के लिए इस तरह की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

संशोधन की आवश्यकता

- लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने की स्वतन्त्रता नहीं थी, किन्तु अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है।
- केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान संचालित करेगी। इसके तहत देशभर में 20 करोड़ घरों में लगातार तीन दिन तक तिरंगा फहराने की योजना है।
- कपड़ा मंत्रालय ने झंडा बनाने वाले और उसकी सप्लाई करने वालों की पहचान की है। इसके अलावा 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस में भी अंतिम समय तक तिरंगे की बिक्री की जाएगी।

'हर घर तिरंगा' अभियान और सीएसआर

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आती हैं।
- अधिनियम में कहा गया है कि लाभप्रद कंपनियों के कुछ वर्ग को अपने तीन साल के वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सामाजिक और अन्य उपयोगी चिंताओं के लिए खर्च करना आवश्यक है।
- संस्कृति से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधानों के तहत गतिविधियां सीएसआर फंड के लिए पात्र हैं।
- परिपत्र में आगे कहा गया है कि कंपनियां इन गतिविधियों को कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों / स्पष्टीकरणों को पूरा करने के अधीन कर सकती हैं।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस